

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 238/2024(जी.सी.एम.एस. 2023/306)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. जसकरण सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1 स्टेट ऑफ राजस्थान जाति तहसीलदार श्रीकरणपुर	
2. जसदीप सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर।		
3. जसविन्द सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एच तहसील श्रीकरणपुर।		

तारीख रजु:- 18.07.2023

उपस्थित: 1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 24.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 11,39,45,59/7 की भूमि में से वादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 0.132 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 62/60 के मुरब्बा नम्बर 8, 40, 45, 59/9 की कुल 3.049 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 के नाम 0.053 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 के नाम 0.855 हैक्टेयर एवं वादी संख्या 3 के नाम 0.753 हैक्टेयर, खाता संख्या 40/38 के मुरब्बा नम्बर 16,40,45,59/20,59/28 की कुल 3.667 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1.222 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 के नाम, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 11/2 की 0.127 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त पांचो खातों में 1.138 हैक्टेयर बारानी भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो वादीगण के कब्जा काश्त में है, जिसकी पानी की पर्ची वादीगण के पिता के नाम से नहरी विभाग द्वारा जारी की हुई है। मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 2, 10 प्रत्येक के 0.253 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 22/1 की 0.126 हैक्टेयर नहरी भूमि वादीगण के पिता प्रीतम सिंह ने बन्ता सिंह, हरनाम सिंह, कर्म सिंह से जरिये बैयनामा खरीद की थी और प्रीतम सिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि विरास्तन वादीगण के नाम दर्ज हो गई थी। चक 29 एच की जमाबन्दी सम्वत 2022 में अमलदरामद करते समय मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 2, 10 प्रत्येक के 0.253 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर नहरी, किला नम्बर 22/1 की 0.126 हैक्टेयर भूमि को बिना किसी आदेश से नहरी से बारानी दर्ज कर दिया गया। इसलिए वादीगण उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा तहसीलदार श्रीकरणपुर को तमाम तथ्यों को अवगत करवाते हुए एवं तमाम रिकॉर्ड दिखाकर उक्त बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने का निवेदन किया। तो तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने को कहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

- अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 2, 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/1 की 0.126 हैक्टेयर कुल 1.138 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 264 दिनांक 03.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक जमावदी सम्वत 2075 वा 2078 क चक 29 एच के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर, खाता संख्या 40/38 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2, 10 सालम, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 62/60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 की 0.025 हैक्टेयर, खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 22/1 की 0.127 हैक्टेयर कुल 1.138 हैक्टेयर बारानी भूमि जसकरण सिंह, जसदीप सिंह, जसविन्द्र सिंह पिययान प्रीतम सिंह, दर्शन सिंह पुत्र मखन सिंह आदि के नाम दर्ज है। पटवारी 14 एस माझीवाला की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबे पर सिंचित फसले ली जा रही है। जिसमें नहर द्वारा सिंचाई की जा रही है। जल संसाधन की रिपोर्ट के अनुसार चक 29 एच के मुरब्बा नम्बर 45 के 8 बीघा कमाण्ड एवं 17 बीघा अनकमाण्ड है, किलेबार सूचना उपलब्ध नहीं है। कार्यालय अध्यक्ष जल उपयोगता संगत 36 एच नग्गी के पत्रांक एसपीएल 01 दिनांक 24.04.2024 अनुसार चक 29 एच के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर, खाता संख्या 40/38 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2, 10 सालम, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 62/60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 की 0.025 हैक्टेयर, खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 22/1 की 0.127 हैक्टेयर कुल 1.138 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। परन्तु उक्त रकबा नहरी रिकॉर्ड में नहरी दर्ज है। पानी मंजूर है। नहरी रिकॉर्ड व मौका स्थिति अनुसार उक्त रकबे को नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। उक्त सिंचित कुल 1.113 हैक्टेयर भूमि में से जसकरण सिंह, जसदीप सिंह, जसविन्द्र सिंह, के नाम 4 बीघा 6 बिस्वा, एवं दर्शन सिंह पुत्र मखन सिंह के नाम 2 बिस्वे की पानी की पर्ची है। अतः चक 29 एच के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर, खाता संख्या 40/38 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2, 10 सालम, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 62/60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 की 0.025 हैक्टेयर, खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 22/1 की 0.127 हैक्टेयर कुल 1.113 हैक्टेयर भूमि को नहरी दर्ज किया जाना उचित है। मिसल हकियत संवत 1990 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2 मेहर सिंह के नाम खुदकाशत दर्ज है। किला नम्बर 22 पाल सिंह के नाम खुदकाशत दर्ज है। किला नम्बर 1,10,11/1 की 0.126 हैक्टेयर नक्षत्र सिंह के नाम खुदकाशत दर्ज है। किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर जीवन सिंह के नाम खुदकाशत दर्ज है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के पत्रांक क्रमांक प.7(7)उप / 2005 जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार अन्तर राशि वसूली योग्य नहीं है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दरतावेजात यथा राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भू.अ.नि.



क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 24/23 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 40/38 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 29/28 राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 62/60, राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 65/64 की छायाप्रति, पडत सरकार मिसल हकियत संवत 1990 की छायाप्रति, अधिशाषी अभियंता जल संसाधन उत्तरखण्ड श्रीगगानगर के पत्राक 107 दिनांक 05.04.2024 की प्रति, सीसीए चक प्लान 29 एच की छायाप्रति, जल उपयोक्ता संगम 36 एच नग्गी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 29 एच, पटवार हल्का 14 एस माझीवाला, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 2, 10 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/1 की 0.126 हैक्टेयर कुल 1.138 हैक्टेयर बारानी भूमि को नहरी दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। जल संसाधन की रिपोर्ट के अनुसार चक 29 एच के मुरब्बा नम्बर 45 के 8 बीघा कमाण्ड एवं 17 बीघा अनकमाण्ड है, किलेबार सूचना उपलब्ध नहीं है। कार्यालय अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगत 36 एच नग्गी के पत्राक एसपीएल 01 दिनांक 24.04.2024 अनुसार चक 29 एच के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर, खाता संख्या 40/38 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2, 10 सालम, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 62/60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 की 0.025 हैक्टेयर, खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 22/1 की 0.127 हैक्टेयर कुल 1.138 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी दर्ज है। परन्तु उक्त रकबा नहरी रिकॉर्ड में नहरी दर्ज है। पानी मंजूर है। नहरी रिकॉर्ड व मौका स्थिति अनुसार उक्त रकबे को नहरी दर्ज किया जाना उचित होगा। उक्त सिंचित कुल 1.113 हैक्टेयर भूमि में से जसकरण सिंह, जसदीप सिंह, जसविन्द्र सिंह, के नाम 4 बीघा 6 बिस्वा, एवं दर्शन सिंह पुत्र मखन सिंह के नाम 2 बिस्वे की पानी की पर्ची है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी 14 एस माझीवाला की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रकबे पर सिंचित फसले ली जा रही है। जिसमें नहर द्वारा सिंचाई की जा रही है। चक 29 एच के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर, खाता संख्या 40/38 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2, 10 सालम, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 62/60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 की 0.025 हैक्टेयर, खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 22/1 की 0.101 हैक्टेयर कुल 1.113 हैक्टेयर भूमि को नहरी दर्ज किया जाना उचित है। मिसल हकियत संवत 1990 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2 मेहर सिंह के नाम खुदकाशत दर्ज है। किला नम्बर 22 पाल सिंह के नाम खुदकाशत दर्ज है। किला नम्बर 1,10,11/1 की 0.126 हैक्टेयर नक्षत्र सिंह के नाम खुदकाशत दर्ज है। किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर जीवन सिंह के नाम खुदकाशत दर्ज है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग के पत्राक क्रमांक प.7 (7) उप/ 2005 जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार अन्तर राशि वसूली योग्य नहीं है। अतः




  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)  
श्री करणपुर

वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिरांगत समझते है।


—आदेश—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 गली भाति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 29 एच के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर, खाता संख्या 40/38 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2, 10 सालग, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 62/60 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 की 0.025 हैक्टेयर, खाता संख्या 65/64 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 22/1 की 0.101 हैक्टेयर कुल 1.113 हैक्टेयर बरानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फेरालशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

  
{श्यामराम (आर.ए.एस.)}

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)  
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर  
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

  
{श्यामराम (आर.ए.एस.)}

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)  
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर  
श्रीकरणपुर



# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ओर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जसकरण सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नंबर 238/2023

निर्णय दिनांक :- 24.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिरसाल कतई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 29 एच के खाता संख्या 24/23 के मुर्ब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर के किला नम्बर 1/1 की 0.228 हैक्टेयर, खाता संख्या 40/38 के मुर्ब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2, 10 सालम, किला नम्बर 11/1 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 29/28 के मुर्ब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 11/2 की 0.126 हैक्टेयर, खाता संख्या 62/60 के मुर्ब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 की 0.025 हैक्टेयर, खाता संख्या 65/64 के मुर्ब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 22/1 की 0.101 हैक्टेयर कुल 1.113 हैक्टेयर बाराणी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 24.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददर्ई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 24.05.2024

क्रमांक: रीडर/2024/224

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

